उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 44/2020/1334/छप्पन-2020-23/2017

लखनऊ, दिनांक: 31 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक / भत्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या:-8/2019/193/छप्पन-2019-17/2014 दिनांक 29 जनवरी, 2019 में संविदा सेवा पायलटों के लिए अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक रेन्ज रू0 2.50 लाख से रू0 07.00 लाख के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप से रू0 06.00 लाख के नियत मासिक पारिश्रामिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ता तथा नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर श्री पंकज सिंह को अधिकतम आयु सीमा (50 वर्ष) में लगभग 02 वर्ष 08 माह की शिथिलता प्रदान करते हुए नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए श्री राज्यपाल संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री पंकज सिंह को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

3- श्री पंकज सिंह से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित पायलट को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

4- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री पंकज सिंह द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह इस पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

सुरेन्द्र सिंह

विशेष सचिव

श्री पंकज सिंह,

604 ब्लूमबर्ग टावर,ओमेक्स हाइट्स

विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010 ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-44/2020/1334(1)/छप्पन-2020-23/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री पंकज सिंह से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।